न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथ राम,आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 14 / 2010

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1 तहसीलदार पचपदरा जरिये राजस्थान सरकार		1. खीमाराम पुत्र गोपीलाल 2. घासीराम पुत्र गोपीलाल 3. रामु पुत्र गोपीलाल 4. सेवाराम पुत्र घीसाराम 5. भूराराम पुत्र तुलछाराम 6. कानाराम पुत्र तुलछाराम 7. पुरखाराम पुत्र तुलछाराम जाति पालीवाल साकिन भांडियावास

राजस्व वाद हेतु– घोषणात्मक एवं रेकर्ड में दुरुस्ती

निर्णय

उपस्थित : 1. सरकारी पेरोकार
2. श्री चेलाराम कुमावत वकील 5 ता 7 प्रतिवादी
3. श्री अचलाराम वकील 1 ता 4 प्रतिवादी

दिनांक : 24.04.2018

वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा भांडियावास के खसरा नंबर 851 व 848 का वक्त बन्दोबस्त रकबा क्रमशः 221.06 व 182.06 बीघा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

वाद संख्या 82 / 65 आदेश क्रमांक 59 अनुसार उक्त खसरान नम्बर 851 का रकबा 182.02 व खसरा नम्बर 848 का रकबा 221.07 बीघा राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया जो जमाबन्दी संख्या 2062 से 2065 में दर्ज है। खसरा नम्बर मौके अनुसार सर्वे करने पर खसरा नम्बर 851 का कुल रकबा 212 बीघा व खसरा नम्बर 848 का कुल रकबा 283 बीघा है।

इस प्रकार खसरा नम्बर 851 में रेकर्ड अनुसार 29.18 बीघा भूमि विप्रार्थीगण क्रमांक 01 से 04 तक के कब्जे में खातेदारी से अधिक एवं खसरा नम्बर 848 में रेकर्ड अनुसार 61.13 बीघा विप्रार्थीगण क्रमांक 05 से 07 के खातेदारी से अधिक भूमि राजस्व रेकर्ड में अधिक भूमि दर्ज है।

खसरा नम्बर 851 में राजस्व नक्शा ट्रेस में 29.18 बीघा व खसरा नम्बर 848 में 61.13 बीघा भूमि अधिक का नक्शा बन्दोबस्त विभाग द्वारा बनाया गया है जिसको दुरुस्त कर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी अनुसार नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती करने के आदेश प्रदान एवं अधिक भूमि को संलग्न नक्शे में दर्शाये अनुसार बिला कब्जा राजकीय भूमि दर्ज करने के आदेश प्रदान करावे तथा उक्त कुल 29.18 + 61.13 = 91.11 बीघा भूमि ग्राम भांडियावास में बिला कब्जा दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावे।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

1. प्रतिवादीगण 01 से 04 की और से विधिक आपतियां एवं जबाब पेश किया जो संक्षिप्त मे इस प्रकार है। वाद पत्र वादी अन्तर्गत नियम 11 आदेश 7 दी.प्र.सं. नामंजूर किये जाने योग्य है।

(अ) वाद पत्र में वाद के वाद करण के गठित होने से तथ्य एवं कथन दर्ज नहीं है।

(ब) वाद पत्र में दर्ज कथनों से ही वाद पत्र वादी विधि द्वारा वर्जित है क्योकि पद संख्या 1 वाद पत्र में उल्लेखित राजस्व वाद संख्या 85/1965 के विरुद्ध अपील कर्ता स्व. गोपीलाल द्वारा न्यायालय श्री राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष दायर अपील संख्या 252/1967 निर्णय दिनांक 14.03.1969 अपीलकर्ता गोपीलाल बनाम रेस्पोडेन्शन तुलछा व तहसीलदार पचपदरा को स्वीकार किये जाने से राजस्व वाद सख्या 85/1965 का निर्णय अपील के निर्णय दिनांक 14.03.1969 में विलय हो गया। अपीलीय निर्णय में विलीन वाद पत्र के सम्बन्ध में दायर वर्तमान वाद पत्र विधि के द्वारा वर्जित है।

(स) वाद पत्र वादी दो प्रतियों में फाइल नहीं किया गया है।

2. वाद पत्र वादी आदेश 6 दी.प्र.स. में वर्णित अभिवचनों के अभाव में पोषणीय नही है।

3. निम्न अन्य कारणों से भी वाद पत्र वादी पोषणीय नहीं है।

(अ) वाद पत्र अभिवाचन के प्रारुप में नहीं है।

(ब) अन्तर्गत नियम 15 आदेश 6 दी.प्र.सं. वादी के वाद पत्र के अभिवचनों का सत्यापन नहीं है।

(स) अभिवचनों के समर्थन में शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 15(4)दी.प्र.सं. वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

1 प्रतिवादी गण संख्या 1 ता 4 रेकर्डेड खातेदार टीनेन्ट थे।

2 वाद पत्र नितान्त झूठे निराधार एवं निरर्थक तथ्यों पर आधारित है अतः अस्वीकार है वद संख्या 85/1965 निर्णय दिनांक 13.12.1966 को अपीलीय न्यायाल ने निरस्त कर अपील दिनांक 14.03.2010 को स्वीकार की।

3 अपीलीय निर्णय दिनांक 14.03.1969 की पालना नहीं की गई प्रकरण संख्या 144/2009 के तथ्यों को छिपाकर वादी ने वर्तमान मिथ्या वाद पत्र संस्थित किया जो खारिज किये जाने योग्य है।

4 वाद पत्र पूर्णतया बनावटी एवं मिथ्या तथ्यों पर आधारित है बिना अपीलीय निर्णय की पालना के अभाव में वादी 91 बीघा 11 विस्वा भूमि बिला कब्जा दर्ज कराने का अधिकारी नहीं है। चूंकि वादी ने 5 लगायत 7 के साथ अनैतिक दुराभिसंधि कर उनसे हितबद्ध होकर वर्तमान वाद पत्र दायर किया जो व्यय सहित खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 पे जबाब पेश कर वाद पत्र को अस्वीकार किया व विशेष आपतियां व काउण्टर कलेम पेश किया।

1 वर्तमान वाद पत्र राजस्थान राज्य की तरफ से नहीं है तहसीलदार पचपदरा को दावा लाने का कोई हक नहीं है।

2 वाद पत्र तस्दीक नहीं किया है जिससे दावा चल नहीं सकता है।

3 वाद पत्र के तथ्यों को शपथ पत्र द्वारा साबित करते हुऐ दफा 26(2) सी पी सी व आदेश 6 नियम 15 (4) सी पी सी के तहत शपथ पत्र साथ पेश नहीं किया दावा चल नही सकता।

4 वादी ने अपने वाद पत्र मे कोई बिनाय दावा दर्ज नहीं किया। न दावे के साथ द्वितीय प्रति वाद पत्र पेश की है दावा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत काबिल खारिज है।

5 वक्त सेटलमेंट संवत 2012 व उसके पूर्व खसरा नम्बर 848 रकबा 283 बीघा पर तुलसाराम का कब्जा काश्त था उनके कब्जा काश्त अनुसार ही वक्त

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

बंदोबस्त खसरा नम्बर 848 का नक्शा रकबा 283 बीघा का बनाया गया जो रकबा आज भी मौके पर मौजूद है लेकिन वक्त बंदोबस्त अधिकारियों ने खसरा नंबर 848 का रकबा माफिक नक्शा 283 बीघा खतौनी करते वक्त भूलवस कम दर्ज कर दिया गया उक्त भूमि पर सेटलमेंट संवत 2012 व उसके पूर्व व पश्चात तुलसाराम का कब्जा कास्त था जिससे वे खातेदार कास्तकार हो चुके थे। प्रतिवादी नंबर 5,6,7 खसरा नम्बर 848 रकबा 283 बीघा भूमि खातेदार कास्तकार हो जाने से खातेदारी की दर्ज करवा कर अपने खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 की प्रार्थना है कि खसरा नम्बर 848 रकबा 283 बीघा सरहद मौजा भांडियावास प्रतिवादी नम्बर 5,6,7 के काबिज खातेदारी का घोषित किया जावें।

दोनो पक्षों की बहस सुनी गई तथा वाद के सलग्न प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन कर उन पर ध्यान पूर्वक मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व 5 ता 7 की आपतियों व प्रतिवादीगण के जबाबों का भी अवलोकन किया गया। पूर्व वाद संख्या 85/1965 निर्णय दिनांक 13.12.1966 की अपील संख्या 252/1967 निर्णय दिनांक 14.03.1969 द्वारा वाद संख्या 85/65 निर्णय दिनांक 13.12.1966 को निरस्त कर अपील स्वीकार की गई परिणाम स्वरुप वाद संख्या 85/1965 के निर्णय एवं डिक्री अपीलीय निर्णय एवं डिक्री में विलीन होकर निष्प्रभावी हो गये। इन महत्वपूर्ण तथ्यों को बदनियति से साशय छिपा कर गलत तथ्य प्रस्तुत कर न्यायालय के साथ कपट कारित किया तथा प्रकरण संख्या 114/2009 के तथ्यों को छिपा कर वर्तमान मिथ्या वाद पत्र पेश किया प्रतिवादी संख्या 5,6,7 ने काउण्टर कलेम पेश किया परन्तु काउण्टर कलेम के समर्थन मे वक्त सेटलमेन्ट से कब्जा काश्त होने का प्रमाण पेश नही किया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अन्याय संगत व निराधार होने से वादी वाद खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 5,6,7 का काउण्टर कलेम साक्ष्य सबूत के अभाव में अस्वीकार किया जाता है। वाद व्यय दोनों पक्ष अपना अपना वहन करे। डिगरी पर्चा जारी हो।

(भागीरथ राम)
सहायक कलेक्टर,
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 24.04.2018 को लिखाया जाकर,खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलेक्टर,
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner